न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 04/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/7

1. श्री सवलाल पिता उंकार जी मीणा आयु वयस्क निवासी नाहरपुरा रून्डेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज०
2. श्रीमती मांगीदेवी पत्नी लाला भील आयु वयस्क निवासी भटेवर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज०

................प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री खुमा पिता जेता भील (मृतक)

1/1 श्री रूपा पिता खुमा भील आयु वयस्क निवासी नाहरपुरा रून्डेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज०

2. श्री उंकार पिता प्रथा भील (मृतक)

2/1 श्रीमती रूकमणी पुत्री उंकार भील आयु वयस्क निवासी ईटांली तहसील मावली जिला उदयपुर राज०

2/2 श्रीमती पन्ना पुत्री उंकार भील आयु वयस्क निवासी ईटांली तहसील मावली जिला उदयपुर राज०

3. श्री केशुराम पिता जयराम भील आयु वयस्क निवासी ईटांली तहसील मावली जिला उदयपुर राज०
4. श्री शंकर पिता जयराम भील आयु वयस्क निवासी ईटांली तहसील मावली जिला उदयपुर राज०
5. श्री अशोक पिता मोहनलाल खटीक आयु वयस्क निवासी चायलों का खेडा तहसील मावली जिला उदयपुर राज
6. श्रीमती कन्चनबाई पत्नी मोहनलाल खटीक आय वयस्क निवासी चायलों का खेडा तहसील मावली जिला उदयपुर राज
7. श्री नितेश पिता मोहनलाल खटीक आयु वयस्क निवासी चायलों का खेडा तहसील मावली जिला उदयपुर राज
8. श्री हेमन्त पिता मोहनलाल खटीक आयु वयस्क निवासी चायलों का खेडा तहसील मावली जिला उदयपुर राज
9. श्री प्रकाशचन्द्र पिता वेणीराम खटीक आयु वयस्क निवासी चायलों का खेडा तहसील मावली जिला उदयपुर राज
10. श्री सुरेशचन्द्र पिता वेणीराम खटीक आयु वयस्क निवासी चायलों का खेडा तहसील मावली जिला उदयपुर राज
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, मावली जिला उदयपुर राज०

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री क... ...प्रार्थीगण।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puhadia
Date: 2025.07.14 11:42:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ... राजस्व अधिनियम

निर्णय

<u>दिनांक : 27.05.2025</u>

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा ईंटाली पटवार ईंटाली तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 6058/3108 रकबा 0.5827 हैक्टयर भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 1 के नाम पर एवं आराजी नम्बर 3107 रकबा 1.5054 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया संख्या 2 के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि के चारों दिशाओं में विपक्षीगण की भूमि आ गयी है और प्रार्थीगण की भूमि पर विपक्षीगण आए दिन अतिक्रमण करने का प्रयास करते है और मना करने पर नही मानते है। जिससे विवाद की स्थिति बनी रहती है। इसलिए प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के तारबन्दी करवाना चाहते है। अंत में निवेदन किया कि उक्त वर्णित भूमि की प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में एटीएस मशीन (भू–मापक यंत्र) से पक्की पत्थरगड़ी तहसीलदार मावली के मार्फत करायी जावे।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 10 बावजूद सूचना अनुपस्थि रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। विपक्षी संख्या 11 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी हक की भूमि है प्रार्थीगण की भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान करावें।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा ईन्टाली पटवार हल्का ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 954 पर दर्ज आराजी नम्बर 6058/3108 रकबा 0.5827 हैक्टेयर भूमि, तथा खाता संख्या 676 पर दर्ज आराजी नम्बर 3107 रकबा 1.5054 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 व 10 का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है किसी प्रकार की घोषणा नही चाही गई है। उक्त भूमि का सीमाकंन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 व 10 के मध्य सीमा संबंधि विवाद नही रहेगा। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:42:33 IST
Reason: SelfAttested

4. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा ईन्टाली पटवार हल्का ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 954 पर दर्ज आराजी नम्बर 6058/3108 रकबा 0.5827 हैक्टेयर भूमि, तथा खाता संख्या 676 पर दर्ज आराजी नम्बर 3107 रकबा 1.5054 हैक्टेयर भूमि की चारो दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:42:33 IST
Reason: SelfAttested